पटना नगर निगम

मौर्यलोक कॉम्पलेकस, बुद्धमार्ग, पटना–800001

पत्रांक 3728 /प.न.नि.

पटना कारपोरेशन

Smart City Patna

प्रेषक,

सहायक निदेशक,
शहरी योजना,
पटना नगर निगम,पटना।

सेवा में,

1. श्रीमति मीना देवी,
पतिः–श्री स्व0 जय नारायण सिंह,
चौक सिकारपुर, पटना।
2. **श्री शैलेश रंजन**
निबंधित वास्तुविद् अभियंता लाईसेंस सं0–ER/19/16 प0.न0.नि0.
बोरिंग कनोल रोड,
पटना–800001
मो0–9031820559

पटना दिनांक 18/05 /2018 ई0

विषयः– प्लान केस संख्या **P/Digha/PRN/G+2/481/2017** के निबंधित वास्तुविद/अभियंता के द्वारा समय–समय पर निरीक्षण कर निर्माण का आवधिक प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के अनुपालन में सूचित करना है कि भू–स्वामी/भवन निर्माणकर्त्ता के द्वारा Construction के दौरान(सड़क चौड़ीकरण/अतिरिक्त भू–पट्टी हेतु –..... वर्ग मीटर) भू–पट्टी छोड़कर ही निर्माण करेंगें एव इस आशय की सूचना विभाग को देंगें। साथ ही कार्य प्रारम्भ करने की सूचना भवन उपवेधि 2014 के Form-X(Form of Notice for Commencement of Work) उपविधि संख्या-8 (6) (F), 10 के अनुरूप समर्पित की जाय।

अतः निबंधित वास्तुविद/ अभियंता ये सुनिश्चित करेंगें की Construction के दौरान सड़क चौड़ीकरण/अतिरिक्त भू–पट्टी हेतु .... वर्ग मीटर छोड़कर ही निर्माण किया जा रहा है। भवन उपविधि–2014 के अनुसार बन रही है एवं पर्यवेक्षण (फॉर्म–V) में किए गए प्रावधानों के अनुसार एवं कार्य का सम्पादन स्वीकृत नक्शे के अनुसार कराना सुनिश्चित करेंगें। भवन उपविधि–14 एवं महायोजना 2031 के उल्लंघन में आवेदक तथा निबंधित वास्तुविद/अभियंता किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होगें एवं भवन उपविधि 2014 के कंडिका 12 के अनुसार निर्माण का आवधिक प्रगति प्रतिवेदन प्रपत्र XI जमा करना संबंधित वास्तुविद/अभियंता द्वारा आवश्यक होगा, साथ ही निर्माण के समय अधोहस्ताक्षरी तथा संबंधित प्रारूपक/कनीय अभियंता से समय–समय पर समन्वय स्थापित कर स्थल का निरीक्षण कराना आवेदक तथा वास्तुविद/अभियंता की जिम्मेवारी होगी। स्वीकृत नक्शे के अनुरूप निर्माण कराते समय किसी भी प्रकार की भवन उपविध्‍ि में लापरवाही के लिए आवेदक एवं निबंधित वास्तुविद/अभियंता जिम्मेवार होगें एवं अगर संबंधित वास्तुविद्/अभियंता द्वारा निर्माण की आवधिक प्रतिवेदन ससमय समर्पित नही करते है तो वास्तुविद्/अभियंता पूर्णरूपेण से जिम्मेवार होंगें और विधि सम्मत प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होगें।

इसे अति आवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

18/5/18

सहायक निदेशक शहरी योजना,
पटना नगर निगम,पटना।

पटना नगर निगम

मौर्यलोक कॉम्पलेकस, बुद्धमार्ग, पटना–800001

पत्रांक...3760.../प.न.नि.

प्रेषक,

उप निदेशक,
शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

श्रीमति मीना देवी,
पतिः–श्री स्व0 जय नारायण सिंह,
चौक सिकारपुर, पटना।

पटना, दिनांक...19.../05/2018 ई0

विषयः– प्लान केस संख्या P/Digha/PRN/G+2/481/2017 की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन P/Digha/PRN/G+2/481/2017 दिनांक 20.09.2017 के संदर्भ में श्रीमति मीना देवी, पतिः–श्री स्व0 जय नारायण सिंह, चौक सिकारपुर, पटना। के भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम–2012 के अधीन अधिसूचित ....विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के................सर्वे प्लॉट सं0–5324 एवं 5326, थाना–सं0–01 (दीघा), मौजा–दीघा, खाता नं0–357, 338, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया–258.00 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 04.85 मी० से 04.86 मी0 चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड़) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों 00.00 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधी के लिए विधिमान्य होगी।

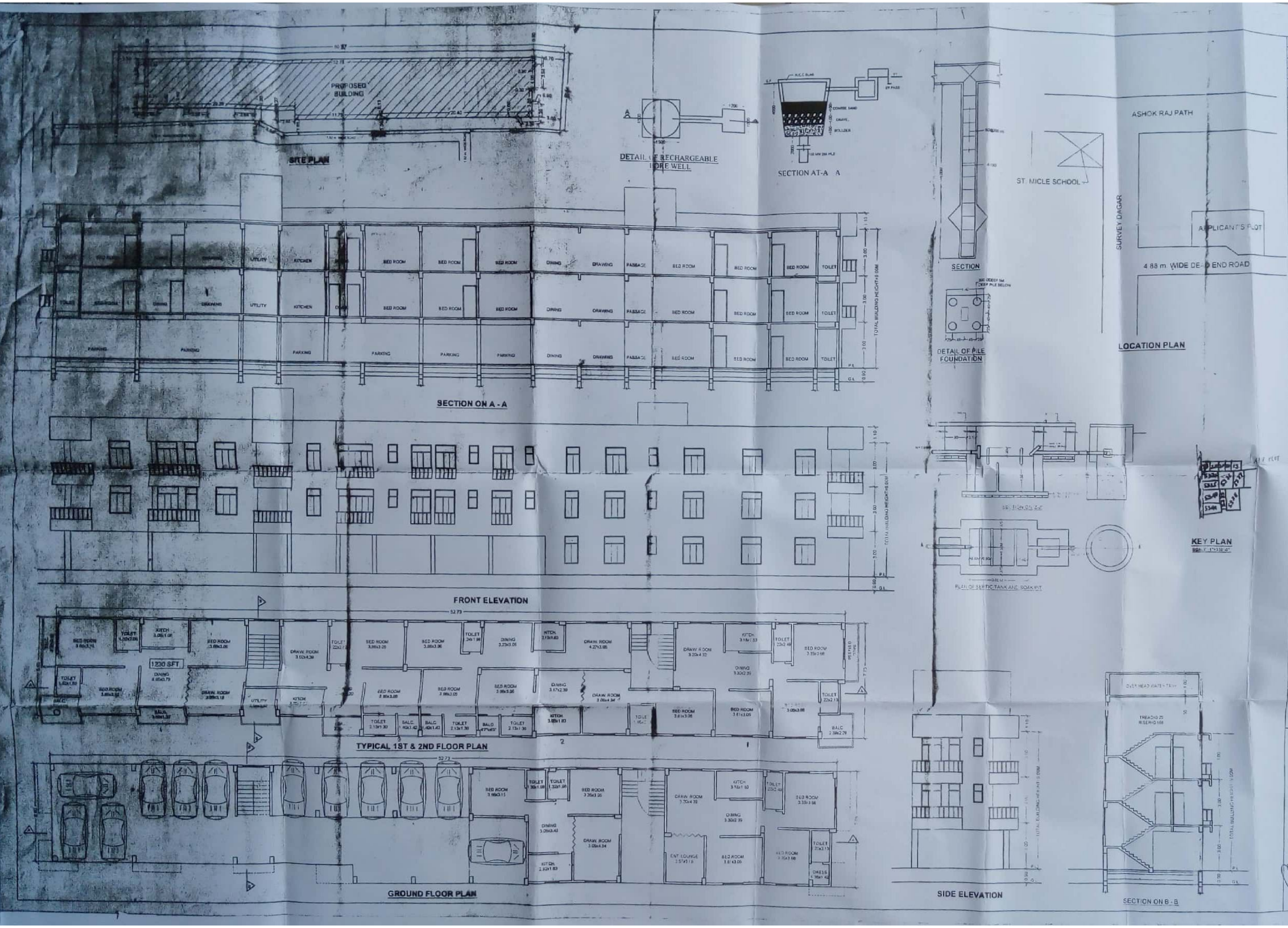

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

SL. NO	TYPE	WIDTH	HEIGHT	DESCRIPTION
1	D	1.05	2.10	FULLY PANNELED DOOR
2	D1	0.90	2.10	DO
3	D2	0.75	2.10	DO
4	DW	1.50	2.55	FULLU WOODEN/GLAZED
5	DW1	1.24	2.55	DO
6	W	1.35	1.80	FULLU GLAZED WINDOW
7	W1	0.90	1.80	DO
8	VG	0.60	0.90	DO

SPECIFICATION

(1) FOUNDATION :- R.C.C. UR GROUP PILE FOUNDATION AS/STRUCTURE DESIGN
(2) SUPER STRUCTURE :- 1ST CLASS BRICK WORK IN SUPER STRUCTURE WITH CEMENT MORTAR
(3) PLINTH :- HEIGHT P. LEV. & G. LEV. AS SHOWN IN SECTION
(4) FLOORING :- 25mm.TH. MOSAIC FLOORING OVER 125mm. TH.DRY RAMMED KHOA OVER 75mm. TH. B. F. S. OVER SAND FILLING
(5) DOORS :- CHOWKHATS OF DOOR TO BE SAL WOOD.
(6) WINDOWS :- ALL WINDOWS TO BE FULLY GLAZED IN STEEL
(7) ROOF :- 15mm. TH. R.C.C. SLAB , 11mm. TH. AVG. LIME TERRACING OVER
(8) PLASTER :- 12mm. TH. CEMENT PLASTER ON BOTH SIDE OF WALL
(9) COLOUR :- COLOUR OR WHITE WASH AS/CHOICE

AREA CALCULATION

TOTAL AREA OF THIS PLOT = [illegible] SQMT.
TOTAL GROUND FLOOR BUILT UP AREA = 181.73 SQMT
TOTAL FIRST FLOOR BUILT UP AREA = [illegible].15 SQMT
TOTAL SECOND FLOOR BUILT UP AREA = 405.15 SQMT
TOTAL FLOOR BUILT UP AREA = 992.03 SQMT

F. A. R. = 1.[illegible]

PARKING CALCULATION

TOTAL BUILT UP AREA = 992.03 SQ.MT.
@ 25 % OF PARKING AREA =248.00 SQ.MT. (223.42 COVERED &
TOTAL = [illegible] SQ.MT. PARKING AREA PROVIDED 34.92 OPEN)
IN GROUND FLOOR

WATER HARVESTING CALCULATION

TOTAL BUILT UP AREA = 992.03 SQ.MT.
100 SQ.MT. FOR 6 CUMT. AREA REQUIRED
992.03/100 = 9.92x6 = 59.59 REC

WATER SUPPLY CALCULATION

TOTAL NOS. OF FLAT = 10
ASSUMING 5 PERSONS PER FLAT 10 X 5 = 50 PERSONS
@ 135 LITERS / PERSONS / DAY = 50 X 135 =6750 LITERS
REQUIRMENT OF WATER TANK FOR 6750 LITERS
SIZE OF OVER HEAD WATER TANK
L = 5.60 X W. = 2.13 X H. = 1.00 = 14.06 CUM

SEPTIC TANK CALCULATION

TOTAL NOS. OF PERSONS = 50
REQUIRMENT OF SEPTIC TANK FOR 50 PERSONS
@ 0.085 CUM. PER PERSONS PER DAY
= 50 X 0.085 = 4.40 CUM
PROVIDED OF SEPTIC TANK OF SIZE OF SEPTIC TANK -
L = 3.00 X W. = 1.22 X H. = 1.50 = 5.46 CUM.

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING OF
SMT. MEENA DEVI W/O
LATE JAI NARAYAN SINGH
MAUZA - DIGHA, THANA NO. - 1,
KHATA NO. - 357, 338, PLOT NO. -5324,5326,
DIST - PATNA.

SCALE -	NORTH -	SHEET NO. -
1:100, 1:200		01

मीना देवी	Shailesh Ranjan Er. Shailesh Ranjan B.Sc. Engg., M.I.E No. ER/[illegible] [illegible] Patna
SIGNATURE OF OWNER	SIGNATURE OF ENGINEER

PATNA MUNICIPAL CORPORATION
PATNA REGIONAL DEVELOPMENT AUTHORITY (DISSOLVED)
Case No. P/Digha/PRN/G+2/481/—2017
Sanction of Plan Accorded under Section 314, 315, 318 & 317 of the Bihar Municipal Act 2007 by the Municipal Commissioner, Patna on [illegible]/05/2018
SANCTION OF PLAN ACCORDED
[illegible]

[illegible] निदेशक
[illegible]

सत्येन्द्र कुमार सिंह
उप निदेशक, [illegible]